



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्राधिकरण की लालपुर, प्रथम चरण आवासीय योजना के अन्तर्गत बहुमजिले (लैण्ड मार्क टावर्स फेज-I, II एवं III) में प्रथम आगत, प्रथम स्वागत के आधार पर उपलब्ध भवनों एवं पार्किंग स्थल प्राप्त करने का सुनहरा अवसर :



पंजीकरण तिथि दिनांक 02-06-18 से प्रारम्भ
www.vdavns.org

प्राधिकरण के लालपुर, प्रथम चरण योजना में बहुमजिले भवन (लैण्डमार्क टावर्स फेज-I, II एवं III) में भवन आवंटन हेतु उपलब्ध है। इन भवनों के आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भवनों का आवंटन प्रथम आगत, प्रथम स्वागत के आधार पर किया जायेगा। आवंटन के इच्छुक व्यक्ति जिनके परिवार (पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों) के नाम से प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भूमि/भवन न हो, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ नवीन फोटोयुक्त शपथ पत्र एवं सम्बन्धित भवनों के लिए निम्नानुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा किया जाना आवश्यक होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी के नाम से देय होगा।" इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु सहायक सम्पत्ति अधिकारी (मो0नं0-7518102806) से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त विवरण प्राधिकरण के वेब साइट www.vdavns.org एवं नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध रहेगा।

(लालपुर प्रथम चरण (लैण्डमार्क टावर फेज-I) के अवशेष भवन

क्र0	भवन/अपार्टमेंट	भवनों की संख्या	अनुमानित सुपर विल्टअप क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	अनुमानित मूल्य (रु0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 लाख में)	भुगतान पद्धति
1.	02 बेडरूम	01	105.60	42.59	4.25	आवंटन के एक माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त अवशेष पार्किंग एवं अन्य शुल्कों सहित धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
2.	02 बेडरूम	01	103.99	41.87	4.18	
3.	03 बेडरूम	01	139.07	57.56	5.75	
4.	03 बेडरूम	01	139.07	57.30	5.73	
(लालपुर प्रथम चरण (लैण्डमार्क टावर फेज-II) के अवशेष भवन						
1.	03 बेडरूम	03	157.57	61.51	6.16	आवंटन के एक माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त मूल्य की 15 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि 18 माह की 06 त्रैमासिक किस्तों में 15 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी।
2.	03 बेडरूम	06	159.18	62.16	6.22	
(लालपुर प्रथम चरण (लैण्डमार्क टावर फेज-III) के अवशेष भवन						
1.	02 बेडरूम	04	134.00	57.71	5.78	आवंटन के एक माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त मूल्य की 15 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि 18 माह की 06 त्रैमासिक किस्तों में 15 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी।
2.	03 बेडरूम	13	164.00	71.41	7.15	

- नोट : 1. उपरोक्त भवनों के साथ पार्किंग की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध है। फेज-1 में 2.16 लाख, फेज-2 एवं फेज-3 में 2.50 लाख का भुगतान फ्लैट मूल्य के अतिरिक्त देय होगा।
2. अनुसूचन शुल्क, विद्युत कनेक्शन चार्ज, नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
3. योजना का ब्रोशर/बुकलेट आवेदन-पत्र सहित प्राधिकरण वेब साइट से डाउनलोड की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आवेदन हेतु बुकलेट/फार्म प्राधिकरण के हेल्प डेस्क से रु0 500/- जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. उपरोक्त भवनों का आवंटन प्रत्येक माह की 05 एवं 20 तारीख को प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(अविनाश कुमार)
प्र0अ0(सम्पत्ति)

(विशाल सिंह)
सचिव

(राजेश कुमार)
उपाध्यक्ष

प्राधिकरण की रामनगर आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर (दुर्बल आयवर्ग) आयवर्ग के पात्र व्यक्तियों को 'प्रथम आगत, प्रथम स्वागत' योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैटों में से मन वांछित फ्लैट प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

(प्रत्येक माह के 05 व 20 तारीख को सुनिश्चित आवंटन प्राप्त करें)


Web Site : www.vdavns.org

रामनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत दुर्बल आयवर्ग के तीन मंजिले भवन आवंटन हेतु उपलब्ध है। इन भवनों के आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भवनों का आवंटन "प्रथम आगत प्रथम स्वागत" के आधार पर किया जायेगा।

आवंटन के इच्छुक व्यक्ति, जिनके परिवार (पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों) के नाम से प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भूमि/भवन न होने के सम्बन्ध में नवीन फोटो सहित शपथ-पत्र तथा नीचे अंकित आय सीमा के अन्तर्गत आते हों, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रत्येक माह के 06 तारीख से 19 तारीख तक एवं 21 तारीख से आगामी माह के 04 तारीख तक जमा किये जा सकते हैं। प्रत्येक माह के 05 तारीख एवं 20 तारीख को आवंटन किये जायेंगे। यदि एक फ्लैट पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उसे लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा। आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क की धनराशि जो नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में होगा, जमा किया जाना आवश्यक होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी" के नाम से होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय के सम्पत्ति अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र प्राधिकरण के हेल्कडेस्क से रु० 100.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विवरण उपरोक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

क्र. सं.	आवास संख्या	आवास का मूल्य	पंजीकरण धनराशि	आय सीमा वार्षिक
1.	ई-5	रु० 5,45000.00	रु० 54,500.00	रु० 1,00,000.00 तक
2.	ई-7	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
3.	एफ-6	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
4.	एफ-8	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
5.	जी-5	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
6.	जी-6	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
7.	जी-7	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
8.	जी-8	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
9.	एच-5	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
10.	एच-6	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
11.	जी-9	रु० 5,30000.00	रु० 53,000.00	" "
12.	डी-4	रु० 8,54000.00	रु० 85,400.00	" "
13.	ए-6	रु० 5,33000.00	रु० 53,300.00	" "
14.	ए-7	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
15.	ए-8	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
16.	बी-6	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
17.	बी-7	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
18.	बी-8	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
19.	सी-7	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
20.	सी-8	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
21.	डी-6	रु० 5,18000.00	रु० 51,800.00	" "
22.	डी-7	रु० 5,31000.00	रु० 53,100.00	" "
23.	डी-8	रु० 5,43,000.00	रु० 54,300.00	" "

आवंटन के 30 दिन के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त भवन के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि निर्धारित ब्याज सहित 15 वर्ष की 180 मासिक किस्तों में देय होगी।


(अविनाश कुमार)
प्रभारी अधिकारी(सम्पत्ति)


(विशाल सिंह)
सचिव


(राजेश कुमार)
उपाध्यक्ष